कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री तेजभान सोनी व्याख्याता, रसायन विज्ञान, राउमावि, अमरपुराथेड़ी, हनुमानगढ़ का स्थानांतरण राउमावि राघवा तहसील सम, जैसलमेर किया गया। श्री तेजभान सोनी ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सी. याचिका संख्या 14918/2019 श्री तेजभान सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 14918/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.19 याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी तेजभान सोनी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय निदेशक महोदय द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/तेजभान सोनी/को.के./18–19 दिनांक 16.10.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया गया। उक्त अभ्यावेदन निस्तारण आदेश के विरूद्व श्री तेजभान सोनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 16281/2019 नवरलाल सोनी बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 16281/2019 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.10.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी तेजभान सोनी के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया है। इस प्रकार राउमावि, अमरपुराथेड़ी, हनुमानगढ मे दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के व्याख्याताओं को दिनांक 13.11.2019 को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में बुलाया गया। न्यायालय स्थगन के कारण तेजभान सोनी व्याख्याता, रसायन विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सहमति के आधार पर सेठ रामदयाल राठी राबाउमावि, सूरतगढ, श्रीगंगानगर में पदस्थापित किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/दोहरा पदस्था.स्था./2019–20 दिनांक : 18-11-19

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Retirment 2016